

FORM No. III

फर्द अहकाम

सहायक फलकर (नियम 26) (फॉर-टू डेय)
 तालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

शांति देवी

बनाम अनील कुमार वर्मा

मुकदमा नं० 09 सन् 2018

2018

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>12⁰²/₁₈ वकील प्रार्थिना श्री विजय प्रकाश शर्मा ने दायित्व अदालत छोड़र प्रार्थना-पत्र टी० अर्द्ध पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये। स्वयं पर बहुत वकील प्रार्थिना एडवोकेट पुनीत शर्मा। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहुत वकील प्रार्थिना-गण पर सगौर मनन किया गया जिसे प्रयत्न दृष्ट्या मामला प्रार्थिना के पक्ष में प्रकाशित पर अप्रार्थिना के अन्तरिम टी० अर्द्ध में पाठ्य किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थिना के आगामी तारीख पेशी तक जरूर आगामी निवेदन/पाठ्य किया जाना है कि आप विवादास्पद कृषि भूमि का नं० 24 रजब 0.81 हे० ग्राम किशनपुरा (रलावला) का प्लिन विधिवत विक्रयन करायें भू-भाग विशेष या विक्रय नहीं करें तथा राजा रिकॉर्ड की अकारिता (as on today) बनाये रखें। प्रार्थी 0.39, R. 03 CPC की पालन करें। अप्रार्थिना के उत्तर को 2) उल्लेखित करते हुए जमान जारी छोड़र पत्रावली दिनांक 13-03-2018 को पेश हो।</p> <p>24⁰⁴/₁₈ रजिस्ट्री फी देवे पर पत्रावली जमान पेश हुई। अहकाम जारी किया गया। अहकाम देने के पत्रावली पर कार्यवाही शुरू किया। दिनांक 22/6/18 को जारी हो।</p>	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम
अ
हुक
म

22⁰⁶/₁₈

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान :
 न्याय उपपत्र ईवाए - 2018 के तहत केस्य स्थल
 अटल सेवा केंद्र एलावता में पेश हुई / यूनि
 जा. पत्र टी.आई. से संबंधित मूल वादफा में
 आज जाणिक डिक्री जारी की जा चुकी है।
 उमम पदकापन के
 अतः तादातने फैसलवाद जीए अस्थाई निर्णय
 पाबन्ध किया जाता है कि आप विवादास्त कृषि
 प्रीमि ख. नं. 24 एका 0.81 हे. तन म्या प्रिशानपुर
 (एलावता) का बिना विधिवत विभाजन करके
 भू-भाग विशेष का विक्रय नहीं करें तथा राजस्व
 रिकॉर्ड की प्रथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल
 श्रमाए होकर नम्बर से कर है तथा काद लकपील
 दाखिल दफ्तर है। निर्णय मजमें वाज सुनाया गया।



(Signature)
 बाधीरथ शास्त्री
 (RAS)
 सहायक कमिश्नर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेश्वर